



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

पता- नई कंपोजिट बिल्डिंग
कलेक्टर परिसर बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष - 07752-443689
फैक्स - 07752-443689
ई-मेल - cgtownplan.bilaspur@gmail.com



Add.-New Composit Building
Collector Parisar Bilaspur (C.G.)
Tel-07752-443689
Fax - 07752-443689
E-Mail- cgtownplan.bilaspur@gmail.com

क्रमांक/ 4213 /न.ग्रा.नि./प्र.क. 53/सी.जी. आ. 00059/धारा 29/23
प्रति,

बिलासपुर दिनांक 27/6/2023

बीडीए ग्रुप द्वारा
भागीदार श्री देवेन्द्र कांत साहू
पिता श्री बृजेश साहू
निवासी गीतांजली विहार, नर्मदानगर
बिलासपुर (छ0ग0)

विषय:- बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अंतर्गत आवासीय (भूखण्डीय) विकास हेतु विकास अनुज्ञा।

(आवेदक संस्था बीडीए ग्रुप द्वारा भागीदार श्री देवेन्द्र कांत साहू)

संदर्भ:- 1-एकल खिड़की के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 26.05.2023 (प्र.क. CGAWAAS/2023/00059)
2-इस कार्यालय का पत्र क्र. 4023 दिनांक 19.06.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत एकल खिड़की के तहत प्राप्त आवेदन पत्र में यथावर्णित ग्राम खमतराई, प.ह.नं. 25, तहसील व जिला बिलासपुर के खसरा क्रमांक 950/2, कुल रकबा 0.2470 हे0, जो कि बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में भू-उपयोग आवासीय निर्दिष्ट है में आवासीय प्रयोजन हेतु भूखण्डीय विकास को क्रियान्वित किये जाने हेतु विकास अनुज्ञा छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2017 की धारा 30 की उपधारा (3) एवं छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27(1) के अधधीन रहते हुए निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है :-

- 1) यह अनुज्ञा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा अनुज्ञेय भूमि के भूस्वामित्व के सत्यापन एवं पुष्टि के आधार पर दी जा रही है।
- 2) स्थल पर अभिन्यास अनुसार सीमांकन कराया जाकर सीमांकित अभिन्यास का सत्यापन इस कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है।
- 3) प्रश्नाधीन भूखण्ड तक पहुंच मार्ग पूर्व स्वीकृत अभिन्यास से 9.0 मी. अप्रोच उपलब्ध है। मार्ग संबंधी विवाद की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4) शासकीय भूमि एवं अभिन्यास के बाहर किसी अन्य की निजी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जावे। किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरुद्ध कोई विकास/निर्माण न किया जावे।
- 5) समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे-जल आपूर्ति, मल निकास, सोकपिट, सेप्टिक टैंक, मार्गों का विकास, खुले स्थानों का विकास एवं विद्युतीकरण, नाली का निर्माण इत्यादि का अभिन्यास में दर्शाये अनुसार करना आवेदक को आवश्यक होगा। गंदे जल के उपचार एवं पुनर्चक्रण के बाद ही परिसर के बाहर छोड़ा जावे।
- 6) छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2017 की धारा 33 के प्रावधानों के तहत जावक दिनांक से यह अनुज्ञा 03 वर्ष की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी। अनुज्ञा को इस अवधि के समाप्ति के पूर्व आवेदन किये जाने पर वर्षानुवर्ष बढ़ाया जा सकेगा किंतु कुल कालावधि जावक दिनांक से किसी भी दशा में 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 7) भवन निर्माण अनुज्ञा नगर पालिक निगम बिलासपुर से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 8) छ0ग0 नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 2013 के नियम 12 के प्रावधानों के तहत कालोनी विकास की अनुमति नगर पालिक निगम, बिलासपुर से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 9) छ0ग0 नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 2013 के अनुसार कालोनी का आंतरिक एवं बाह्य विकास करना आवश्यक होगा।
- 10) छ0ग0 नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 10(3)(ख) के तहत कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 508, दिनांक 16.06.2023 के अनुसार आश्रय शुल्क जमा किया गया।

G:\POWER\LETTER FORMATS OF R.K\ONLINE LAYOUT\BILASPUR.DOC

क्रमशः / / / /

145